दिनांक 23/04/2025 को आयोजित रिवर रिजुवनेशन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रमुख पीठ नई दिल्ली द्वारा ओ. ए. क्रमांक 673/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के पालन में प्रदेश की हसदेव, खारून, महानदी, शिवनाथ एवं केलो नदियों के प्रदूषित भाग के पुर्नरूद्धार हेतु तैयार कार्ययोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित रिवर रिजुवनेशन समिति की बैठक दिनांक 23/04/2025 को सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ राज्य के नदियों के प्रदूषित भाग में कुल 22 दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित एवं संचालित हैं। इन संयंत्रों की उपचार क्षमता 446 एमएलडी है। उक्त दूषित जल उपचार संयंत्र भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बनाये गये हैं। सचिव महोदय द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्रों के पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग यह सुनिश्चित करे कि नदियों के प्रदूषित भाग में जितना भी दूषित जल उत्पन्न हो रहा है। समस्त जल का शत् प्रतिशत उपचार हो। इस हेतु अतिरिक्त दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. नवा रायपुर अटल नगर, जोन-01 में 10 एमएलडी क्षमता के निर्माणाधीन दूषित जल उपचार संयंत्र को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दूषित जल उपचार संयंत्र से उपचारित दूषित जल के पुर्नउपयोग के संबंध में 06 उद्योगों द्वारा एमओयू किया गया है, जिसमें से 01 उद्योग मेसर्स आलोक फेरो एलायज लिमिटेड, रायपुर द्वारा उपचारित दूषित जल 03 एमएलडी का पुर्नउपयोग किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। अन्य उद्योगों द्वारा पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रक्रियाधीन होना बताया गया। उक्त के अतिरिक्त मेसर्स गोदावरी पॉवर लिमिटेड, मेसर्स एनएसपीसीएल, भिलाई, मेसर्स अडानी पॉवर, रायपुर एवं मेसर्स सीएसआईडीसी, रायपुर से एमओयू के संबंध में चर्चा प्रक्रियाधीन होना बताया गया, जिस पर सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त संबंधितों से एमओयू के संबंध में पृथक से बैठक आयोजित की जाये। साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि उपचारित दूषित जल के पुर्नउपयोग हेतु वर्तमान तक किये गये एमओयू में उपचारित दूषित जल लिये जाने की मात्रा, उद्योग की जानकारी एवं कार्य पूर्णता के संबंध में समयसीमा की जानकारी से भी अवगत कराया जाये।

4. धमतरी में स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र को दूषित जल उपचार की मात्रा बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत् निर्देशित किया गया।

5. सचिव महोदय द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा नदी के किनारे स्थित उद्योगों की नियमित निगरानी एवं मॉनिटरिंग की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उद्योगों द्वारा परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी से विभाग को अवगत भी कराया जाये।

6. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि नदी में मिलने वाले नालों के मिलन बिन्दुओं (ब्वदसिनमदबम च्वपदजे) पर जल की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखी जावे।

7. सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि फ्लड प्लेन डीमार्केशन तथा मॉडल रिवर के चिन्हांकन का कार्य भी संबंधित विभाग द्वारा किया जाये। तत्संबंध में विभाग द्वारा पत्राचार किया जाय।

अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

Digitally signed by
Devendra Singh Bhardwaj
Date: 28-04-2025
11:18:23

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र-**GENS/748/2025-HOUSING** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/04/2025

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, तेलीबांधा रायपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
3. नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर
4. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर, बिलासपुर,(छ.ग.)
6. स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
SHATRUHAN YADAV
Date: 28-04-2025
11:35:52

(शत्रुहन यादव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

SE(RR)

EE(D)

28/4/25